

प्रकरण- 26, अजील राजदेव/सुखराज नि.दि. - 28/11/2025

28/11/2025

अभिभाषक अपीलान्टस को। अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र वास्ते बिये जाने अपील मोट प्रेस पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टस अपील को आगे नहीं चलाने चाहते हैं। अतः अपील को इसी स्तर पर मोट प्रेस में स्कारिज किये जाने का निवेदन किया। फलतः अपील अपीलान्ट मोट प्रेस में स्कारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र स्थगन भी स्कारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल सुमार होकर बाद तकमील जावला दफ्तर दाखिल है।

NAL
बतिरिक्त बिना दफ्तर
दोष